दिनांक 23.02.2004

महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

1. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि नवगठित विधानसभा के पहले सत्र में मेरी सरकार ने जो नीतियाँ, प्राथमिकताएँ और कार्य शैली आपके समक्ष प्रस्तुत की थी, उन पर कारगर अमल हो रहा है।
2. नई सरकार को सत्ता में आए आज ढाई माह पूरे हुए हैं। कामकाज की गति और नतीजों के मूल्यांकन की दृष्टि से यह समयावधि बहुत कम है। लेकिन जनसामान्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में जो काम प्रारंभ हुए हैं, उनके स्पन्दन महसूस किये जा सकते हैं।
3. आने वाले वर्षों में मेरी सरकार का लक्ष्य होगा मध्यप्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों के दर्जे में शामिल करना। अधोसंरचना विकास तथा उसके रख-रखाव पर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने के फलस्वरूप प्रदेश में प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाया है। देश के कुछ अन्य राज्य पिछले एक दशक में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमें उनके और हमारे बीच के अंतर को कम करना है।
4. विकास की निहित संभावनाओं को आकार देने के लिए अब हम युद्ध स्तर पर अधोसंरचना निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं। बिजली, सड़क, खेतों के लिए पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जरूरी अधोसंरचना स्थापित करने की दिशा में काम शुरू हुये है।
5. प्रदेश में अधोसंरचना विकास को जो गति दी गई है, उसके परिणाम शीघ्र ही दिखाई देंगे। पिछले वर्षो में सड़कों की हालत बहुत बिगड़ी है। आर्थिक प्रगति में बिजली और सड़कें सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक हैं। हमने यह लक्ष्य निर्धारित किया

है कि महत्वपूर्ण सड़कों को जल्दी से जल्दी आवागमन के योग्य बना दिया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों प्रकार की योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। अल्पकालीन योजना के अंतर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ राज्य राजमार्गों में से सबसे अधिक उपयोग में आने वाले मार्गों की मरम्मत तेजी से की जा रही। हमारी कोशिश है कि बरसात के पहले यह मार्ग आवागमन के योग्य बन जाएं।

6. सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि ऐसी आवश्यक सड़कों का निर्माण किया जाए, जिससे हर तहसील मुख्यालय से भोपाल तक की दूरी दस से बारह घंटे में पूरी की जा सके।

7. प्रधानमंत्री के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना की तर्ज पर राज्य के कोनों को जोड़ने वाली एक सड़क-माला विकसित की जाएगी। सुदूर अंचलों से राजधानी भोपाल को जोड़ने के लिए पाँच रेडियल मार्गों को भी विकसित किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान सड़कों के उन्नयन तथा छूटी हुई कड़ियों को जोड़ने की इस परियोजना को मार्च, 2007 तक पूरा कर लिया जाएगा।

8. एशियन विकास बैंक, किसान निधि, नाबार्ड और केन्द्रीय सड़क निधि के अलावा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से प्रदेश में दो हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण वर्ष 2004-2005 में किया जाएगा।

9. गाँवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम "प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के तहत तेजी से किया जा रहा है। सन् २००७ तक ५०० या उसके अधिक आबादी वाली बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2004 तक प्रदेश में 925 करोड़ रूपये लागत की 55 सौ किलोमीटर लम्बी 11 सौ सड़कों का निर्माण पूरा हो जाएगा। इन सड़कों के निर्माण से 21 सौ गाँव मुख्य सड़कों से जुड़ जाएंगे।

10. प्रदेश के नागरिक पिछले कई वर्षों से बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। सरकार ने इस संकट से निपटने की एक कार्य योजना बनाकर बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। किसानों और छात्रों को उनकी जरूरतों के अनुरूप बिजली देने के प्रभावी प्रयास किये गये हैं। बेहतर प्रबंधन के द्वारा प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन को रबी मौसम में सत्रह सौ मेगावाट बनाये रखा गया है। इंदिरा सागर की 2x125 की इकाईयों का प्राथमिकता के आधार पर क्रियाशील किया गया है। विभिन्न स्त्रोतों से २५० करोड़ रूपये प्रतिमाह की बिजली खरीद कर किसानों को प्रतिदिन छह घंटे सिंचाई और छात्रों को पढ़ाई के लिये रात में उपलब्ध कराई जा रही है।

11. बिजली प्रदाय की व्यवस्था में तात्कालिक सुधार के लिये दिसम्बर और जनवरी माह में 11 हजार 970 खराब ट्रांसफार्मर बदले गये।

12. पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की 920 करोड़ रूपयों की परियोजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त उप-पारेषण और वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने की केन्द्र शासन की योजना के अंतर्गत लगभग 679 करोड़ रूपये लागत की परियोजना पर भी काम जारी है। इन परियोजनाओं के पूरे होने पर उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलने लगेगी और पारेषण एवं वितरण हानि पर नियंत्रण किया जा सकेगा।

13. बिजली की कमी से निपटने की दीर्घकालीन योजना के तहत क्षमता वृद्धि के लिये लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के काम को प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिकता के आधार पर बीस मेगावाट की टोंस जल विद्युत परियोजना और साठ मेगावाट की मडीखेडा जल विद्युत योजना अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने के प्रयास हैं। इसके अलावा बिरसिंहपुर ताप विद्युत गृह में 500 मेगावाट क्षमता की एक और इकाई सितम्बर 2006 तक क्रियाशील करने का कार्यक्रम प्रगति पर है।

14. नर्मदा घाटी के समग्र विकास के लिये सरकार नये संकल्पों और नये दृष्टिकोण से लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयासरत है। नर्मदा परियोजनाओं से मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 मिलियन एकड फिट पानी के शतप्रतिशत् उपयोग को जल्द से जल्द सुनिश्चित करने और नर्मदा घाटी की निर्माणाधीन व प्रस्तावित योजनाओं के काम को गति दी गई है। परियोजनाओं से प्रभावितों के पुनर्वास में सर्वोच्च प्राथमिकता देने को सरकार वचनबद्ध है।

15. हमने वृहद्, मध्यम और लघु सिंचाई क्षेत्रों में क्षमता बढ़ाने के लिये कारगर कदम उठाए हैं। हमारे प्रयास हैं कि नाबार्ड, विश्व बैंक, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम एवं अन्य स्त्रोतों से सहायता प्राप्त कर निर्माणाधीन योजनाओं को पूरा किया जाए। राज्य सरकार की कृषि विकास के प्रति गहरे रुझान को समझते हुए भारत सरकार ने त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत योजना राशि 250 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 740 करोड़ रूपये कर दी है।

16. मेरी सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह सजग है। प्रदेश में 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अभी लगभग 124 लाख बच्चे हैं। इनमें से लगभग 117 लाख बच्चे स्कूलों में दर्ज हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी बच्चों को कक्षा एक से आठ तक की प्रारंभिक शिक्षा देने की अपेक्षा की गई है। प्रदेश में इस अभियान के अंतर्गत लगभग 123 लाख बच्चों को इस वर्ष सितम्बर माह तक प्रारम्भिक शिक्षा के दायरे में लाया जायेगा।

17. स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाने और उनकी उपस्थिति को बनाये रखने के लिए पालक शिक्षक संघों को उत्तरदायी बनाया जा रहा है।

18. वर्तमान में 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लगभग सात लाख 74 हजार ऐसे बच्चे हैं जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं या स्कूल में दर्ज नहीं होना चाहते हैं। इनमें से चार लाख 28 हजार बालिकाएं हैं। समाज के विकास के लिए बालिकाओं की शिक्षा

के महत्व को समझते हुए इन बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने की राष्ट्रीय योजना को प्रदेश के कम महिला साक्षरता वाले 268 विकासखण्डों में लागू किया जाएगा। इन विकासखण्डों के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 तक की सभी 38 लाख बालिकाओं को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों के साथ-साथ यूनिफार्म भी दी जाएगी।

19. तीन फरवरी से प्रदेश में स्वास्थ्य और ज्ञान को समर्पित "परिवर्तित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम" लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रायमरी स्कूलों के बच्चों को अरूचिकर दलिया-खिचड़ी के स्थान पर रूचिकर दाल-रोटी, सब्जी-रोटी या चावल-दाल-सब्जी जैसा पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। पहले चरण में सर्वाधिक पिछड़े 120 विकासखंडों के 22 लाख बच्चे इस योजना से जुड़े हैं। एक अप्रैल से प्रदेश के सभी विकासखंडों के 77 लाख बच्चों को यह भोजन मिलने लगेगा। इस कार्यक्रम से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भीबढ़ेगी।

20. अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बालक-बालिकाओं की शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। मेधावी छात्रों के लिये उत्कृष्ट छात्रावास, बेहतर छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा हेतु सक्षम बनाया जाएगा।

21. नये वित्तीय वर्ष में प्रदेश के तीस अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र खोले जाएंगे। इन पर होने वाला व्यय राज्य शासन अपने संसाधनों से करेगा। इसके अलावा 199 नये छात्रावास-आश्रम भवनों का निर्माण भी किया जायेगा।

22. प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया और सहरिया के बालक-बालिकाओं के लिए पाँच सौ आवासीय स्कूल स्थापित करने की एक योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के पहले वर्ष में ऐसे 50 स्कूल शुरू किये जाएंगे, जिन पर 216 लाख रूपये से ज्यादा राशि व्यय होगी।

23. रोजगार के अधिकाधिक अवसर तथा इसके लिए संसाधन जुटाना मेरी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक होगा। इस हेतु शासकीय तथा निजी क्षेत्रों दोनों की पारस्परिक भूमिका की पहचान की जाएगी। असंगठित क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों के गठन, सदस्यों के प्रशिक्षण, कच्चे माल की उपलब्धता तथा उत्पादों के वितरण की रूप-रेखा तैयार की जाएगी, व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं के विस्तार पर बल दिया जाएगा। एक राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण काउंसिल का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से रोजगाररत् शिल्पियों, कारीगरों एवं मिस्त्रियों के गिल्ड स्थापित किए जाएंगे जो अपने सदस्यों के कौशल संवर्धन एवं उद्यमिता विकास में योगदान देंगे। व्यापार एवं उद्योग जगत की प्रतिनिधि संस्थाओं के साथ मिलकर अल्प एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

24. मेरी सरकार की प्राथमिकता प्रदेश को उद्योग मित्र राज्य बनाने की है। उद्योगों में निवेश करने वालों की समस्याओंके निराकरण के प्रति सरकार गंभीर है। निवेशकों की सुविधा के लिए सिंगल एजेंसी प्रणाली को व्यापक, युक्तियुक्त और सुदृढ़ बनाया जाएगा। उद्योग के क्षेत्र में दोहरी कराधान प्रणाली के स्थान पर एक उद्योग हितैषी प्रणाली पर विचार किया जा रहा है। उद्योगों के लिये जरूरी अधोसंरचना कायम करने, बीमार उद्योगों को पुनर्वास और नये उद्योगों को लाने के लिये अधिकाधिक प्रोत्साहन की योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

25. पंचायतराज की अवधारणा को सशक्त किया जाएगा। पूर्व में स्थापित जिला सरकार व्यवस्था को समाप्त किया गया है। इसके फलस्वरूप उन सभी विषयों में जहाँ संविधान के 73 वें संशोधन अनुसार पंचायतों को भूमिका सौंपी गई है, पंचायतों के अधिकारों को प्रभावी एवं कार्यशील बनाया जाएगा।

26. नि:शक्तजनों के लिये कल्याणकारी उपायों को प्राथमिकता दी जायेगी। नि:शक्त जन पुनर्वास के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु कारगर कदम उठाये जायेंगे।

27. प्रदेश के ग्यारह कृषि जलवायु क्षेत्रों को आधार मानते हुए उनके लिए अलग-अलग कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं में कृषि पिछड़े क्षेत्रों की विशेष रूप से पहचान कर स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम निर्धारित किए जाएंगे, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े लघु और सीमांत किसानों को कृषि की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। कृषि में प्रति हैक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जाएंगे।

28. उद्यानिकी के क्षेत्र में उपलब्ध विपुल उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय तौर पर उपलब्ध फल और सब्जियों की प्रजातियों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

29. प्रदेश में तेन्दूपत्ता संग्रहण एवं व्यापार की नयी व्यवस्था लागू की गई है। नई व्यवस्था में राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ तेन्दूपत्ता के निर्वर्तन के लिये संग्रहण के पूर्व ही प्रतिस्पर्धा के आधार पर तेंदूपत्ता क्रयकर्ताओं की नियुक्ति करेगा। वनोपज सहकारी समितियाँ पत्ते का संग्रहण कर उसे हरी अवस्था में ही क्रेता को देंगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संग्राहकों को उनकी पूरी राशि समय पर मिले और उनकी किसी प्रकार का शोषण न हो।

30. मेरी सरकार वन भूमि पर पुराने अतिक्रमणों के व्यवस्थापन को प्राथमिकता देगी। वनवासियों को विकास का अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिये वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिये शासन वचनबद्ध है।उक्त संबंध में केन्द्रीय शासन से अनुमति प्राप्त करने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

31. प्रदेश में प्रचुर मात्रा में औषधीय और सुगंधित पौधे उपलब्ध हैं। इनकी वन क्षेत्रों के अलावा खेती एवं मूल्य संवर्धन के द्वारा रोजगार के विविध अवसर उपलब्ध कराये जा सकते हैं। अगले तीन माहों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती तथा विपणन की समेकित योजना तैयार की जाएगी।

32. राज्य की जैव विविधता के अक्षुण्ण दोहन के लिए अधिकार सम्पन्न बायोडायवर्सिटी बोर्ड का गठन शीघ्र किया जाएगा। यह बोर्ड राज्य के वनों में उपलब्ध जैव सम्पदा तथा आदिवासियों के परम्परागत ज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप देने तथा उससे होने वाले लाभ में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

33. मेरी सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये नई आबकारी नीति बनाई है। नई नीति में अवैध मदिरा के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिये मदिरा की प्रत्येक बॉटल पर होलोग्राम लगाये जाने की व्यवस्था रहेगी। नीति में किये गये प्रावधानों से राज्य की आय में वृद्धि होने की आशा है।

34. राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान की हाल ही में आधारशिला रखी गई है। इस संस्थान की स्थापना से राज्य को आधुनिक चिकित्सा सेवा एवं चिकित्सा शिक्षा की उत्कृष्ट सुविधाएँ मिलेंगी। ग्रामीण अंचलों तथा नगरों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य की स्वास्थ्य नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा।

35. राज्य में शिशु एवं मातृ मृत्युदर राष्ट्रीय सूचकांकों से कहीं अधिक है। स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान तथा कार्यक्रम रणनीति को इस ओर केन्द्रित किया जाएगा। दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम को और सशक्त किया जाएगा। पैरा मेडिकल काउंसिल के माध्यम से आयोजित पाठ्यक्रमों के द्वारा दाइयों को सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते हुए उन्हें ग्रामीण समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया जाएगा।

36. मेरी सरकार महिलाओं के समग्र विकास और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।समाज एवं शासन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वायत्तता, सम्मान,न्याय और समानता के साथ महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं।प्रशासन में महिलाओं की सक्रिय एवं प्रभावी भूमिका को बढ़ावा देने की दिशा में मैदानी स्तर के थानों में महिला अधिकारियों को थाना प्रभारी तैनात किया गया है।

37. नई सरकार का पिछले दो माह में प्रयास रहा है कि प्रशासन का मानवीय चेहरा उभर कर सामने आए। नागरिकों को जहाँ एक ओर अपने कार्य स्वयं निबटाने के लिए समर्थ बनाने में प्रशासन की भूमिका है, वहीं दूसरी ओर नागरिक प्रशासन सम्पर्क को एक परिणामकारक एवं सुखद अनुभव बनाना हमारा लक्ष्य होगा। जन समस्याओं का निराकरण राजधानी से तहसील तथा विकासखण्ड मुख्यालयों तक सभी विभगों एवं कार्यालयों का प्रमुख कर्तव्य होगा। इस हेतु शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष उत्तरदायित्व होगा। सूचना प्रौद्योगिकी माध्यमों से इस हेतु अगले एक वर्ष में एक राज्यव्यापी नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

38. प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए सुविचारित कदम उठाए जाएंगे। तहसील कार्यालयों एवं पुलिस थानों पर तहसील एवं थाना-दिवस आयोजित होंगे।

39. शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से ही प्रशासन चलता है और विकास कार्य संपन्न होते हैं। उनके मनोबल को बढ़ाने तथा उनके कौशल को आधुनिक बनाने के लिये मेरी सरकार कृत संकल्प है। पटवारियों, राजस्व निरीक्षकों, पुलिस एवं वन कर्मियों, कृषि विस्तार अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये विशेष एवं समयबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वित होंगे एवं आधुनिक सुविधाएं जुटाने हेतु कदम उठाये जायेंगे। ऐसा ही अन्य विभागों में भी किया जायेगा।

40. मेरी सरकार ने अपने वादे के अनुरूप शासकीय सेवा से प-थक किये गये दैनिक वेतनभोगियों की समस्या का संवेदनशीलता के साथ निराकरण किया है। इन दैनिक वेतनभोगियों की वापसी प्रारंभ हो चुकी है। वेतनभोगियों के हित में वृत्तिकर का युक्तियुक्तकरण भी किया गया है और एक तर्कसंगत स्थानांतरण नीति भी बनाई गई है।

41. हमने समाज में गाय के पारम्परिक स्थान को महत्व दिया है। प्रदेश में कानून के द्वारा गौवंश वध को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में गौ-शालाओं की एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की जा रही है। इस व्यवस्था से एक ओर जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं गौ-शालाओं से मिलने वाली बायोगैस और जैविक खाद इनको स्वावलम्बी बनायेगी। गौ-शालाओं की बन रही यह व्यवस्था प्रदेश के आर्थिक विकास को भी एक नई गति देगी।

42. इस सदी के पहले सिंहस्थ पर्व में देश के साधु-संत और श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ शामिल हों यह मेरी सरकार का प्रयास है। हमने समय सीमा में सिंहस्थ मेले के लिये प्राथमिकताएं निर्धारित कर बुनियादी सुविधाएं जुटाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। साधु-संतों और अखाड़ों को उनके उपयोग के लिए निःशुल्क भूमि, जल और बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

43. हम अपने पारम्परिक मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए एक ऐसे समरस समाज के लिये प्रतिबद्ध हैं जिसमें लोग जाति, वर्ग और सम्प्रदायों से ऊपर उठकर प्रदेश को विकास के मार्ग पर ले जायेंगे। मेरी सरकार का समग्र प्रयास समाज के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलने का है।

44. मेरे अभिभाषण को अपने ध्यान से सुना, इसके लिये मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इस सत्र में किये जाने वाले विधायी कार्य आप सफलतापूर्वक करें, मेरी शुभकामनाएं।

जय हिन्द !